प्रेस नोट संख्या- 38
दिनांक 30.12.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
"नशा मुक्त अमेठी अभियान" के अन्तर्गत थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा 50 ग्राम स्मैक के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **"नशा मुक्त अमेठी अभियान"** के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2025 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान अभियुक्त कल्लू पुत्र भल्लू निवासी निध्दा का पुरवा मजरे मरदानपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- कल्लू पुत्र भल्लू निवासी निध्दा का पुरवा मजरे मरदानपुर थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-

- कुल 50 ग्राम स्मैक।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 330/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार वर्मा थानाध्यक्ष बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
3. हे0का0 राजबहादुर सिंह थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
4. का0 अजय थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
5. का0 पंकज थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
6. का0 तरुण मिश्रा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 98/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।